

AC DMIC

30.9.18

राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

Dr. Jaisankar
2/2/18

क्रमांक: प. 28(1)उद्योग/1/2018

जयपुर, दिनांक :

आदेश

नगरीय विकास विभाग द्वारा पूर्व में गठित समितियों के स्थान पर भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण स्तर पर ले-आउट प्लान, भवन मानचित्र एवं मुख्यमंत्री जनआवास योजना 2015 के तहत आवेदित योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

- | | | |
|-------|---|------------|
| (i) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| (ii) | प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (iii) | प्राधिकरण की नगर नियोजन/प्लानिंग शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य सचिव |
| (iv) | प्राधिकरण की राजस्व शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य |
| (v) | प्राधिकरण की विधि शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य |

उपरोक्त समिति की बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवाही विवरण का माननीय प्रभारी मंत्री, डीएमआईसी विभाग एवं अध्यक्ष, भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


- sld -
(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
डीएमआईसी

क्रमांक: प. 28(1)उद्योग/1/2018

जयपुर, दिनांक :- 30 MAY 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीएमआईसी विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, डीएमआईसी विभाग।
4. अतिरिक्त आयुक्त, डीएमआईसी विभाग।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाडी।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, डीएमआईसी विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।


(नीतू बारूपाल)
शासन उप सचिव
उद्योग(ग्रुप-1)/डीएमआईसी